रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 1994/चैत्र 15, 1916
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 1994/CHAITRA 15, 1916

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

(आयोग का गठन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना संख्या 13040/ 2/90-एस. सी. डी.-VI दिनांक 12 मार्च, 1992, द्वारा अधिसूचित)

[संविधान के अनुच्छेद 338 (4) के अधीन]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1994

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यविधि नियम

सं. 17/7/एससीटीसी/91-सी. सेल

अध्याय I

सामान्य

राष्ट्रीय आयोग का गठन

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338, जिसे संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990, द्वारा संशोधित किया गया है, के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (जिसे इसके बाद राष्ट्रीय आयोग कहा जायेगा) गठित किया गया है। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय

2. राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

3. राष्ट्रीय आयोग के गठन के समय विद्यमान निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालय इसके नियंत्रणाधीन होंगे —

स्थान	अधिकारक्षेत्र
(1) अगरतला	त्रिपुरा
(2) अहमदाबाद	गुजरात दादरा और नागर हवेली दमण और दीव
(3) बंगलूर	कर्नाटक
(4) भोपाल	मध्य प्रदेश
(5) भुवनेश्वर	उड़ीसा

(6)	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह
(7)	चंडीगढ़	पंजाब हरियाणा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़
(8)	गुवाहाटी	असम
(9)	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
(10)	जयपुर	राजस्थान
(11)	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
(12)	मद्रास	तमिलनाडु पांडिचेरी
(13)	पटना	बिहार
(14)	पुणे	महाराष्ट्र गोवा
(15)	शिलंग	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैण्ड
(16)	शिमला	हिमाचल प्रदेश जम्मू और काश्मीर
(17)	तिरुवनन्तपुरम	केरल लक्षद्वीप

4. राष्ट्रीय आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, नए कार्यालय और उपकार्यालय खोल सकता है और अपने किसी क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर को बढ़ा अथवा घटा सकता है।

राष्ट्रीय आयोग के कार्य

5. संविधान में यथावर्णित राष्ट्रीय आयोग के कार्य और दायित्व निम्नलिखित होंगे—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफ़ारिश करना और

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

6. राष्ट्रीय आयोग देश में किसी भी स्थान पर 'सिटिंग' और 'मीटिंग' (बैठकों) के ज़रिए तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने अधिकारियों के माध्यम से भी कार्य करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य इन नियमों में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार कार्य करेंगे।

अध्याय II

दायित्वों का विभाजन तथा कार्य का आवंटन

अध्यक्ष

7. अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग का प्रधान होगा और उसे राष्ट्रीय आयोग में उत्पन्न सभी प्रश्नों और विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी सिवाय उन मामलों में जहां इन नियमों में विशेष प्रावधान किया गया हो।

8. अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों में विषयों और दायित्वों का आवंटन करेगा। विषयों और दायित्वों के आवंटन से संबंधित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जायेगा।

9. अध्यक्ष को सदस्यों का अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

10. अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

11. सदस्यों को आवंटित विषयों के संबंध में आयोग में सभी महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष के अनुमोदन से लिए जायेंगे।

12. अध्यक्ष किसी भी विषय पर ऐसा कोई रेकॉर्ड मंगवा सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता हो और वह इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है अथवा यदि आवश्यक हो तो उसे राष्ट्रीय आयोग की बैठक में रख सकता है।

उपाध्यक्ष

13. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

14. उपाध्यक्ष द्वारा ऐसे सभी कार्य किए जायेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे गए हों।

सदस्य

15. राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का सामूहिक दायित्व होगा और वे राष्ट्रीय आयोग की बैठकों और 'सिटिंग' में भाग ले कर तथा उन्हें आवंटित विषयों की देखभाल कर अपना कार्य संपादित करेंगे। किसी सदस्य की महत्वपूर्ण कार्रवाइयों तथा निर्णयों को राष्ट्रीय आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है जो उसकी समीक्षा कर सकता है।

16. राष्ट्रीय आयोग की बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए कोई भी सदस्य अपनी ओर से मदों का सुझाव दे सकता है परन्तु अध्यक्ष की सहमति प्राप्त होने के बाद ही इन मदों को शामिल किया जायेगा।

17. नियम 8 के अधीन आवंटित विषयों तथा/अथवा क्षेत्रों या राज्यों के बारे में प्रत्येक सदस्य समग्र रूप से उत्तरदायी होगा।

18. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना और विकास के मामलों में सदस्य उनके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों को परामर्श देने की भूमिका निभायेंगे। राष्ट्रीय आयोग का सचिवालय सदस्यों को राज्यों की समस्याओं और क्रियाकलापों तथा उनके प्रभाराधीन आने वाले विषयों की पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए उनकी मदद करेगा।

19. अन्यत्र नियमों में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार एक या एक से अधिक सदस्य मामलों की सुनवाई के लिए या ऐसे किसी विषय पर मुद्दे या मामले में जिसमें राष्ट्रीय आयोग द्वारा अन्वेषण या जांच की जा रही हो, साक्ष्य या जानकारी एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग' बुला सकते हैं।

20. प्रत्येक सदस्य वार्षिक रिपोर्ट के उस भाग को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा जो उसे आवंटित विषयों से संबंधित हो।

सचिव

21. सचिव राष्ट्रीय आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा और वह राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों की सहायता से राष्ट्रीय आयोग के कार्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।

22. सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय सचिव के सम्मुख रखे जायेंगे जो ऐसे विषयों पर सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश जारी कर सकता है।

23. सचिव राष्ट्रीय आयोग की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करने और बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

24. सचिव रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में राष्ट्रीय आयोग की सहायता करेगा।

25. सचिव अपने विवेक पर सचिवालय के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को अपना कोई भी कार्य या प्राधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।

अध्याय III

राष्ट्रीय आयोग द्वारा अन्वेषण तथा जांच की विधियां

26. राष्ट्रीय आयोग उसके प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों का अन्वेषण (इंवेस्टिगेशन) अथवा जांच (इक्वायरी) करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसी एक अथवा एकाधिक विधियों को अपना सकता है –

(क) राष्ट्रीय आयोग द्वारा सीधे ही ;

(ख) राष्ट्रीय आयोग के मुख्यालय में गठित अन्वेषण दल द्वारा; और

(ग) राज्य क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से।

राष्ट्रीय आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण तथा जांच

27. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों, संरक्षण कल्याण और विकास से संबंधित जिन मामलों का अन्वेषण अथवा जिन विशिष्ट शिकायतों की जांच स्वयं करने का निर्णय राष्ट्रीय आयोग लेता है, ऐसे अन्वेषण या जांच के लिए आयोग 'सिटिंग' आयोजित कर सकता है। ऐसी 'सिटिंग' राष्ट्रीय आयोग के मुख्यालय में अथवा देश में किसी दूसरे स्थान पर आयोजित की जा सकती है।

28. राष्ट्रीय आयोग द्वारा सीधे ही किसी मामले का अन्वेषण या जांच की जायेगी इस आशय का निर्णय राष्ट्रीय आयोग की बैठक में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में जिनमें तत्काल कार्रवाई अपेक्षित हो सीधे ही अन्वेषण या जांच करने का निर्णय अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लिया जा सकता है। निर्णय के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग के एक अथवा एकाधिक सदस्यों को ऐसा अन्वेषण या जांच सौंपना शामिल होगा।

29. राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग', सुनवाई के लिए अभिप्रेत पार्टियों को उचित नोटिस देने तथा पर्याप्त प्रचार अथवा आम जनता को सूचना देने के बाद ही आयोजित की जायेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जायेगी कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जो अन्वेषण या जांच के अधीन मामले से प्रभावित हैं, नोटिस अथवा प्रचार के माध्यम से उचित सूचना दी जा चुकी है।

30. इस अध्याय के नियम 28 के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण या जांच का निर्णय लेने के बाद, आवश्यक स्टाफ सहित एक अधिकारी को, जो सहायक निदेशक से कम स्तर का न हो, उस मदद के साथ कार्य पर लगाया जायेगा जिसे ऐसा अन्वेषण या जांच सौंपा गया है तथा वे (अधिकारी और स्टाफ) 'सिटिंग' आयोजित करने के लिए सभी कदम उठायेंगे।

31. राष्ट्रीय आयोग अन्वेषण या जांच के दौरान 'सिटिंग' में शपथ पर साक्ष्य या शपथपत्र प्राप्त कर सकता है। अन्वेषण या जांच में साक्ष्य लेने के उद्देश्य से यदि राष्ट्रीय आयोग किसी व्यक्ति की उपस्थिति को आवश्यक समझता है तो वह उसे 'समन' भेज सकता है। 'समन' राष्ट्रीय आयोग के सम्मुख उपस्थित होने के लिए निदेशित व्यक्ति को 'समन' प्राप्त करने की तिथि से कम से कम 15 दिन का नोटिस दिए जाने का प्रावधान होगा।

32. राष्ट्रीय आयोग अन्वेषण या जांच के किसी मामले में साक्ष्य लाने के लिए 'कमीशन' जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग 'कमीशन' पर साक्ष्य लाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को शुल्क तथा यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त नियम बना सकता है।

33. अपेक्षित 'सिटिंग' के बाद जिस सदस्य ने अन्वेषण किया है वह एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट सचिव को अथवा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेजी जायेगी। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी जो इस विषय पर की जाने वाली कार्रवाई पर विचार करेगा। परन्तु यदि रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला सदस्य यह निश्चित करता है कि किसी मामले में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है तो अध्यक्ष के अनुमोदन से वह रिपोर्ट पर कार्रवाई आरम्भ कर सकता है।

राष्ट्रीय आयोग के मुख्यालय में गठित अन्वेषण दल द्वारा अन्वेषण या जांच

34. राष्ट्रीय आयोग अपनी बैठक में निर्णय ले सकता है कि किसी विषय का अन्वेषण या जांच राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों के एक अन्वेषण दल द्वारा कराई जाये, परन्तु यदि मामला ऐसा हो जिसमें तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है तो ऐसे अन्वेषण या जांच के लिए निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जा सकता है।

35. अन्वेषण दल तत्काल ही अन्वेषण या जांच, जो भी हो, के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करेगा और इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र I में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने सहित आवश्यक पत्राचार प्रारम्भ करेगा।

36. अन्वेषण दल दौरे का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित औपचारिकताओं तथा अन्य प्रशासनिक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद तथा अन्वेषण या जांच का विषय, प्रयोजन, सीमा तथा कार्यविधि संबंधी सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को देने के बाद संबंधित क्षेत्र का मुआयना कर सकता है। अन्वेषण दल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ की सहायता प्राप्त कर सकता है परन्तु रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रस्तुत करने का दायित्व अन्वेषण दल के प्रधान का होगा।

37. अन्वेषण दल अन्वेषण अथवा जांच, जो भी हो, उसकी रिपोर्ट सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर राष्ट्रीय आयोग के सचिव अथवा संबंधित अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने की संभावना हो तो इसके लिए अन्वेषण दल का प्रधान उस मामले के प्रभारी अधिकारी के आदेश प्राप्त करेगा और वह प्रभारी अधिकारी आवश्यक हो तो सचिव अथवा राष्ट्रीय आयोग से अनुमोदन प्राप्त करेगा अन्वेषण दल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सचिवालय में रिपोर्ट का अध्ययन किया जायेगा तथा रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित निर्णय के लिए उसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी सचिव अथवा अधीनस्थ अधिकारी होगा जैसा कि सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा निदेश दिया जाये।

38. राष्ट्रीय आयोग की बैठक में रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया जायेगा और यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो सम्पूर्ण रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अन्वेषण या जांच

39. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय विशेष पर अधिकारिता रखने वाला सदस्य या राष्ट्रीय आयोग का सचिव निर्णय ले सकता है कि कोई अन्वेषण या जांच राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जायेगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को इस निर्णय की सूचना भेजी जायेगी और उसे निर्धारित समयावधि के भीतर मामले का अन्वेषण या जांच करने और रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जायेगा। ऐसे अन्वेषण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी एक अन्वेषण ग्रुप गठित करेगा जिसमें आवश्यक संख्या में क्षेत्रीय कार्यालय के कार्मिक होंगे। अन्वेषण ग्रुप पूछताछ, स्थान का दौरा करके, विचार-विमर्श तथा पत्राचार और दस्तावेजों के अध्ययन के माध्यम से, जैसा भी मामले में आवश्यक समझा जाये, अन्वेषण या जांच का कार्य करेगा और साथ ही वह इस संबंध में समय-समय पर राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय से जारी किन्हीं विशेष अथवा सामान्य अनुदेशों का अनुपालन भी करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी, यदि वह उचित समझता हो तो, अन्वेषण का कार्य केवल एक कार्मिक को सौंप सकता है और वह कार्मिक उसी तरह कार्य करेगा जैसा अन्वेषण ग्रुप द्वारा किया जाता है।

40. यदि अन्वेषण या जांच का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा न किया जा सकता हो तो क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय की समाप्ति से पहले राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय को पत्र भेजेगा और निर्धारित अवधि के भीतर अन्वेषण या जांच, जो भी हो, का कार्य पूरा न होने से संबंधित परिस्थितियों और कारणों को स्पष्ट करेगा। राष्ट्रीय आयोग का सचिव अथवा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत

कार्य करने वाला अधिकारी इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करेगा और उसे अन्वेषण या जांच का कार्य पूरा करने की संशोधित तिथि की सूचना भेजेगा ।

41. यदि अन्वेषण या जांच के दौरान अन्वेषण ग्रूप का प्रधान यह महसूस करता है कि किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए या अन्वेषण ग्रूप के सम्मुख किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है तो अन्वेषण ग्रूप का प्रधान क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को एक विशेष रिपोर्ट देगा जो रिपोर्ट को पूर्ण तथ्यों सहित राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय को अग्रेषित करेगा । ऐसी विशेष रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को विषय के प्रभारी सदस्य के सम्मुख रखा जायेगा जो इस आशय का आदेश जारी करेगा कि उपस्थिति को बाध्यता या किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये । इस प्रयोजन के लिए जारी 'समनों' तथा वारंटों को या तो सीधे ही या क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से, जैसा ऐसी कानूनी प्रक्रिया प्राधिकृत करने वाले सदस्य द्वारा निदेश दिया जाए, संबंधित व्यक्तियों को भेजा जायेगा ।

42. अन्वेषण या जांच, जो भी हो, का कार्य पूरा हो जाने के बाद अन्वेषण ग्रूप रिपोर्ट को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई के सुझाव के साथ रिपोर्ट को राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय को भेजेगा । मुख्यालय में इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जायेगा । रिपोर्ट का सारांश तथा निष्कर्ष सचिव के सम्मुख रखे जायेंगे जो मामले में अगली कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेगा ।

कतिपय रिपोर्टों की गोपनीयता

43. राष्ट्रीय आयोग बैठक में अथवा अन्यथा निर्णय लेकर यह आदेश दे सकता है कि किसी मामले पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु गोपनीय रखी जायेगी और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं प्रकट की जायेगी सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

विधिक प्रक्रियाओं का जारी किया जाना

44. ऐसे सभी 'समन' और वारंट, जिन्हें राष्ट्रीय आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाना अपेक्षित है, विहित प्रपत्र में लिखे जायेंगे और उन पर राष्ट्रीय आयोग की मुहर लगी होगी । राष्ट्रीय आयोग के विधिक कक्ष से विधिक प्रक्रिया जारी की जायेगी और उस पर उसकी मुहर लगी होगी । विधिक प्रक्रियाओं की तामील के लिए लागू सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जायेगा ।

पत्रों तथा नोटिसों का जारी किया जाना

45. दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित ऐसे पत्रों तथा नोटिसों पर जिन्हें राष्ट्रीय आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग किए बिना जारी किया गया हो, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो सहायक निदेशक से कम स्तर का न हो ।

'समनों' तथा वारंटों के प्रपत्र

46. इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र II तथा प्रपत्र III में क्रमश: 'समन' और वारंट जारी किए जायेंगे ।

अध्याय IV

राष्ट्रीय आयोग की बैठकें

बैठकों की आवृत्ति

47. राष्ट्रीय आयोग को दो माह में कम से कम एक बार बैठक बुलायी जायेगी । सामान्यत: बैठक की नोटिस दो सप्ताह पहले भेजी जायेगी । राष्ट्रीय आयोग द्वारा जिन महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित विचार-विमर्श आवश्यक हो उनको निपटाने के लिए अध्यक्ष स्वयं या किसी सदस्य अथवा सचिव के अनुरोध पर आपात बैठक भी बुला सकता है ।

कोरम

48. राष्ट्रीय आयोग की बैठक के कोरम के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

ऐसे मामले जिन पर राष्ट्रीय आयोग की बैठक में निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा

49. राष्ट्रीय आयोग की बैठक में विचार-विमर्श तथा निर्णय के लिए निम्नलिखित विषयों का रखा जाना अनिवार्य होगा—

(क) इन कार्यविधि नियमों में कोई संशोधन ;

(ख) आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण किए जाने वाले विषय ;

(ग) सभी रिपोर्टें जिन पर इन नियमों के अनुसार राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है ;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए योजना तथा विकास से संबंधित विषय ;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे कोई सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में प्रस्तुत करना चाहता हो ;

(च) कोई अन्य विषय जिसे अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग की बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दे ।

बैठक के लिए कार्यसूची

50. बैठक की कार्यसूची बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पहले सभी सदस्यों को परिचालित की जायेगी परन्तु आपात बैठक के लिए यह समय सीमा लागू नहीं होगी ।

51. बैठक के बाद उसका कार्यवृत्त शीघ्रातिशीघ्र सभी सदस्यों को परिचालित किया जायेगा ।

राष्ट्रीय आयोग की बैठक का स्थान

52. सामान्यत : राष्ट्रीय आयोग की बैठक का स्थान नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय होगा । परन्तु राष्ट्रीय आयोग भारत में किसी अन्य स्थान पर भी बैठक आयोजित कर सकता है ।

शुल्क

53. राष्ट्रीय आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य किसी शुल्क के लिए हकदार नहीं होंगे । परन्तु यदि कोई अंशकालिक सदस्य हों तो उनकी पात्रता ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में निर्धारित की जायेगी ।

अध्याय V

राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग'

'सिटिंग' की आवश्यकता'

54. जब राष्ट्रीय आयोग को सौंपा किसी मामले का अन्वेषण करना हो तो वह राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग' बुला कर ऐसा कर सकता है । ऐसी 'सिटिंग' के लिए सारे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी ।

उपस्थित होने वाले अधिकारी

55. जब कभी राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग' हो रही हो तो यह आवश्यक होगा कि 'सिटिंग' करने वाले सदस्य द्वारा ठीक ढंग से कार्य सम्पन्न करने में सहायता के लिए राष्ट्रीय आयोग का एक अधिकारी, जो सहायक निदेशक से नीचे स्तर का न हो तथा जिसे इस कार्य के लिए विधिवत् तैनात किया गया हो, उपस्थित हो । सदस्य द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करे । निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करने में सदस्य की सहायता करने के लिए भी वह अधिकारी उत्तरदायी होगा ।

'सिटिंग' की आवृत्ति

56. राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग' जब कभी आवश्यकता हो आयोजित की जा सकती है । राष्ट्रीय आयोग देश के विभिन्न भागों में एक साथ एक से अधिक 'सिटिंग' कर सकता है जिनमें विभिन्न सदस्य अलग-अलग काम निपटायेंगे ।

'सिटिंग' का कार्यक्रम

57. प्रत्येक मास में मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर होने वाली 'सिटिंग' का कार्यक्रम सामान्यत: पहले ही बना लिया जाएगा तथा उसे विधिवत् परिचालित किया जाएगा ।

साक्षियों के व्ययों की अदायगी

58. राष्ट्रीय आयोग उन व्यक्तियों के यात्रा व्ययों की अदायगी करेगा जिन्हें 'समन' देकर आयोग की 'सिटिंग' में उसके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए बुलाया गया हो, बशर्ते कि उस व्यक्ति के निवास स्थान की दूरी राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग' के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक हो । इस प्रकार अदा की जाने वाली राशि वास्तविक यात्रा व्यय ए जितने दिन वह व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग की 'सिटिंग' में उस सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उतने दिनों के दैनिक भत्ते तक सी होगी, बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से ए एवं दैनिक भत्ता पाने का हकदार न हो । सरकार या कि राज्य उपक्रम के कर्मचारियों को यदि राष्ट्रीय आयोग के सामने अभिसाक्ष्य देने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए 'समन' द्वारा बुलाया जाता है तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा । यात्रा व्ययों की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर परिकलित रेल भाड़ा एवं सड़क मील भत्ता के आधार पर निश्चित की जाएगी । किसी व्यक्ति के हक़ के बारे में किसी शक की स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

59. 'सिटिंग' के लिए सदस्य से सम्बद्ध अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए क़दम उठाएगा कि यदि बैठक राष्ट्रीय आयोग के मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थान पर हो रही है तो पर्याप्त नक़द राशि साथ में लाई गई है । राष्ट्रीय आयोग का सचिवालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्य-विधि तय कर सकता है कि आयोग के सम्मुख होने वाले प्रस्तुत उपर्युक्त प्रकार के दावों को नक़द अदायगी व्यक्ति को उसी स्थान पर कर दी जाए ।

60. उपर्युक्त प्रकार के यात्रा व्ययों के दावे उस व्यक्ति के मामले में स्वीकार्य नहीं होंगे जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के दौरान उसके सम्मुख स्वेच्छया प्रस्तुत होता है या किसी पत्र या सूचना के उत्तर में जो राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी 'समन' नहीं है ।

अध्याय VI

राष्ट्रीय आयोग की परामर्शी भूमिका

राष्ट्रीय आयोग के राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध

61. राष्ट्रीय आयोग अपने सदस्यों, सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों से पारस्परिक सम्बन्ध रखेगा ।

किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों, व्यक्तिगत संपर्कों, मुलाक़ातों और पत्रव्यवहार के द्वारा राज्य सरकार से पारस्परिक सम्बन्ध रखेगा । इसके लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जा सकते हैं । राष्ट्रीय आयोग का सचिवालय अपने संबंधित स्कंधों के माध्यम से सदस्य को आवश्यक सहायता एवं सूचना देगा जिससे वह अपना कार्य कर सके ।

योजना आयोग के साथ पारस्परिक सम्बन्ध

62. राष्ट्रीय आयोग, योजना आयोग के साथ उपयुक्त स्तरों पर विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों या योजना आयोग द्वारा गठित इस प्रकार के अन्य निकायों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से पारस्परिक सम्बन्ध रखेगा । राष्ट्रीय आयोग, योजना आयोग को सामान्य या विशिष्ट पत्रों द्वारा इस आवश्यकता का संकेत देगा ।

राष्ट्रीय आयोग, योजना आयोग से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास से संबंधित योजना तथा विकास की प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेजों और सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां अग्रेषित करने का अनुरोध कर सकता है ।

64. राष्ट्रीय आयोग अपने अध्यक्ष/सदस्यों तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध के स्वरूप के संबंध में निर्णय कर सकता है ।

राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों का पारस्परिक सम्बन्ध

65. राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय इस ढंग से काम करेंगे कि वे संबंधित राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय आयोग के बीच नियमित एवं प्रभावी कड़ी बन सकें । इसके लिए राष्ट्रीय आयोग राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हुए पत्र भेज सकता है कि राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, संरक्षण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना, मूल्यांकन एवं परामर्शी निकायों में, जिनमें निगम भी शामिल हैं, लिया जाये ।

66. क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को राष्ट्रीय आयोग द्वारा निदेश या प्राधिकार दिया जा सकता है कि किसी बैठक या विचार-विमर्श से उत्पन्न किसी मुद्दे या विशिष्ट या सामान्य मामले पर वे राष्ट्रीय आयोग का औपचारिक दृष्टिकोण या राय किसी राज्य प्राधिकारी को पहुंचायें ।

मूल्यांकन

67. संघ या राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग अध्ययन करा सकता है । इस प्रयोजन से राष्ट्रीय आयोग मुख्यालय में या क्षेत्रीय कार्यालयों में अध्ययन दलों का गठन कर सकता है । अध्ययन दल स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों के प्राधिकारियों, विश्वविद्यालयों या अनुसंधान निकायों के सहयोग से अन्वेषण, सर्वेक्षण या अध्ययन कर सकते हैं ।

68. राष्ट्रीय आयोग किसी सर्वेक्षण या मूल्यांकन अध्ययन को किसी पेशेवर निकाय या व्यक्ति को सौंप सकता है जो इस प्रकार का कार्य करने के लिए उपयुक्त एवं सक्षम हो, तथा इसके लिए ऐसे निकाय या व्यक्ति को अध्ययन की लागत के रूप में शुल्क या अनुदान द्वारा उचित भुगतान कर सकता है ।

69. इस प्रकार किए गए अध्ययन या उनके सार राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक या विशेष रिपोर्ट का भाग हो सकते हैं जिसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना है या जिसे राष्ट्रीय आयोग अलग से प्रकाशित करना चाहे ।

70. राष्ट्रीय आयोग ऐसे अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित संघ या राज्य सरकार को अग्रेषित कर सकता है और उस पर उसकी टिप्पणी मंगा सकता है । संघ या राज्य सरकार की टिप्पणी या उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का भाग हो सकती हैं ।

अध्याय VII

राष्ट्रीय आयोग के अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) कार्य

राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुवीक्षण के विषयों का निर्धारण

71. राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर निश्चित करेगा कि संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों से संबंधित किन विषयों या मामलों का अनुवीक्षण किया जाए ।

विवरणियां (रिटर्न) एवं रिपोर्टें निर्धारित करना

72. राष्ट्रीय आयोग जिस विषय का अनुवीक्षण कर रहा है उसके लिए उत्तरदायी या उस पर नियंत्रण रखने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए राष्ट्रीय आयोग आवधिक विवरणियां या रिपोर्टें निर्धारित कर सकता है ।

73. राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को किसी विशेष विषय या मामले पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, निगमित निकायों या किसी अन्य प्राधिकारी से जिस पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों को लागू करने का भार है, सूचना एवं आंकड़े एकत्र करने का अनुरोध दे सकता है ।

74. राष्ट्रीय आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना या आंकड़ों का अध्ययन करने का निदेश दे सकता है जिससे आंकड़ों के इस प्रकार के अध्ययन या विश्लेषण से कमियों या दोषों के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके तथा उनकी ओर सम्बन्धित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जा सके ।

75. राष्ट्रीय आयोग अनुवीक्षण किए जा रहे विषयों से संबंधित आंकड़े मुख्यालय में एकत्रित करा सकता है तथा इसके लिए विवरणियां एवं रिपोर्टें निर्धारित कर सकता है । वह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकारियों को, जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सुरक्षण लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं, कह सकता है कि वे इन विवरणियों और रिपोर्टों में अपेक्षित आंकड़े और सूचना आयोग के मुख्यालय को सीधा भेजें ।

अनुवर्ती कार्रवाई

76. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुवीक्षण प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, राष्ट्रीय आयोग उपर्युक्त नियमों के अनुसार निर्धारित सूचना प्राप्त करने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद यथाशीघ्र संबद्ध प्राधिकारी को सुरक्षणों को लागू करने में पाए गए दोषों का विवरण देते हुए तथा सुधार के उपाय सुझाते हुए पत्र भेज सकता है । ऐसा पत्र भेजने का निर्णय उप निदेशक से नीचे स्तर पर नहीं लिया जाएगा।

77. राष्ट्रीय आयोग नियम 76 के प्रावधान के अधीन भेजे गए पत्र के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी की टिप्पणी मांग सकता है ।

78. संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों से संबंधित विषयों के अनुवीक्षण की प्रक्रिया से प्राप्त किए गए जांच परिणामों और निष्कर्षों को राष्ट्रीय आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या किसी विशेष रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकता है ।

अध्याय VIII

विविध

राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक कार्य

79. यदि कोई ऐसा विषय या मामला है जो विधि के अन्तर्गत ठीक-ठीक नहीं आता परन्तु वह इस प्रकार का है कि उसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह का कल्याण अंतर्निहित है तथा इन वर्गों के लोगों के हितों के रक्षक के रूप में अपनी स्वाभाविक क्षमता के कारण राष्ट्रीय आयोग के लिए उसमें कार्रवाई आवश्यक है तो ऐसे विशेष मामले में राष्ट्रीय आयोग पत्राचार शुरू कर सकता है ।

80. राष्ट्रीय आयोग के सभी औपचारिक पत्र किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जायेंगे जो सहायक निदेशक से नीचे स्तर का नहीं होगा ।

81. राष्ट्रीय आयोग अपने सचिव के माध्यम से मुकदमा चला सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

82. इन नियमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से वही अभिप्राय होगा जैसा संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 10 में दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के नियमों आदि की प्रयोज्यता

83. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होने वाले, अनुशासन एवं आचरण नियम सहित सभी नियम, विनियम और आदेश राष्ट्रीय आयोग के सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

84. भारत सरकार में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीय आयोग के सदृश अधिकारियों पर लागू होंगे ।

स्टाफ़ कारों का उपयोग

85. भारत सरकार के स्टाफ़ कार नियम राष्ट्रीय आयोग में स्टाफ़ कारों के उपयोग पर लागू होंगे ।

इन नियमों में उल्लेख न किए गए मामलों पर निर्णय

86. यदि किसी ऐसे मामले पर प्रश्न उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो अध्यक्ष का निर्णय मांगा जाएगा। यदि अध्यक्ष उचित समझता है तो वह राष्ट्रीय आयोग की बैठक में मामले पर विचार करने का निदेश दे सकता है ।

एस. के. बसु
सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति आयोग

प्रपत्र I

(मूल तथ्यों को एकत्र करने के लिए नोटिस)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक संवैधानिक निकाय)

लोकनायक भवन पाँचवाँ तल,
नई दिल्ली-110003

प्रति

———————

———————

———————

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को .....से .....दिनांक .....में .....शीर्षक से छपे प्रेस समाचार से याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और राष्ट्रीय आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या स्वयं उपस्थित हो कर या किसी अन्य संचार साधन से सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में राष्ट्रीय आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त दीवानी अदालतों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

हस्ताक्षर

उप निदेशक/निदेशक
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग

दिनांक··········

प्रपत्र II

('समन')

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

लोकनायक भवन (पाँचवां तल)
नई दिल्ली-110003

प्रति

____

____

____

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को ··············से············ दिनांक ···················में·············शीर्षक से छपे प्रेस समाचार से याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और राष्ट्रीय आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अंवेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय आयोग के समक्ष साक्षी के रूप में ——————— 19 —·········को ·············· बजे················में आपकी उपस्थिति एतद्‌द्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय आयोग द्वारा जांच के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने साथ लायें या आपके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनियुक्त करें।

____

____

____

यात्रा व्यय का भुगतान निर्धारित मान के अनुसार आपकी मासिक आय के आधार पर किया जाएगा। यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

··········19··········के········दिन मेरे हस्ताक्षर और दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग की मुहर से दिया गया।

मुहर हस्ताक्षर

प्रपत्र III

(साक्षी को गिरफ़्तार करने का वारंट)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

लोकनायक भवन (पाँचवां तल)
नई दिल्ली-110003

प्रति

____

____

____

____

चूंकि ···············निवासी ·········· को विधिवत 'समन' भेजा गया था पर वह उपस्थित नहीं हुए ('समन' से बचने के लिए फ़रार या अप्राप्य रहे), अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (8) के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग एतद्‌द्वारा आपको आदेश देता है कि आप कथित······ ··········को गिरफ़्तार कर नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

आपको आगे आदेश दिया जाता है कि आप······ ·········19··········के················दिन या उससे पहले इस वारंट को पृष्ठांकन के साथ वापस करें और प्रमाणित करें कि इस वारंट पर किस दिन और किस प्रकार कार्यान्वियन किया गया है और यदि कार्यान्वियन नहीं किया गया है तो उसका कारण बतायें।

·······19·········के··········दिन मेरे हस्ताक्षर और दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग की मुहर से दिया गया।

मुहर हस्ताक्षर

NATIONAL COMMISSION

FOR

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(Formation notified vide No. 13040/2/90-SCD-VI dated the 12th March, 1992, of the Ministry of Welfare, Government of India)

[Under Article 338 (4) of the Constitution]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1994

RULES OF PROCEDURE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

No. 17/7/SCTC/91-C. Cell

CHAPTER I

GENERAL

Constitution of the National Commission

1. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (hereinafter called National Commission) has been constituted under Article 338 of the Constitution of India as amended by the Constitution (Sixth-fifth Amendment) Act, 1990. The National Commission shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and five other Members.

Headquarters of the National Commission

2. The headquarters of the National Commission shall be located at New Delhi.

Field Offices of the National Commission

3. The National Commission shall have under its control the following field offices existing at the time of its constitution :

Location	Jurisdiction
(1) Agartala	Tripura
(2) Ahmedabad	Gujarat Dadra & Nagar Haveli Daman and Diu
(3) Bangalore	Karnataka
(4) Bhopal	Madhya Pradesh
(5) Bhubaneswar	Orissa
(6) Calcutta	West Bengal Sikkim A&N Islands
(7) Chandigarh	Punjab Haryana U.T. of Chandigarh
(8) Guwahati	Assam
(9) Hyderabad	Andhra Pradesh
(10) Jaipur	Rajasthan
(11) Lucknow	Uttar Pradesh
(12) Madras	Tamil Nadu Pondicherry
(13) Patna	Bihar
(14) Pune	Maharashtra Goa
(15) Shillong	Meghalaya Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland
(16) Shimla	Himachal Pradesh Jammu & Kashmir
(17) Thiruvananthapuram	Kerala Lakshadweep

4. The National Commission may, if considered necessary, open new offices and sub-offices and upgrade or downgrade the status of any of its field offices.

Functions of the National Commission

5. The functions and responsibilities of the National Commission as laid down in the Constitution are :

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards ;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

6. The National Commission shall function by holding 'sittings' and 'meetings' at any place within the country and also through its officers at the Headquarters and in the field offices. The Members of the National Commission including the Chairperson and the Vice-Chairperson shall function in accordance with the procedure prescribed under these rules.

CHAPTER II

DIVISION OF RESPONSIBILITIES AND ALLOCATION OF WORK

Chairperson

7. The Chairperson shall be the head of the National Commission and shall have the residuary powers to decide on all questions and matters arising in the National Commission excepting such matters where specific provision has been made in these rules.

8. The Chairperson shall allocate subjects and responsibilities among the Members of the National Commission. The Order allocating the subjects and responsibilities shall be circulated to all concerned by the Secretariat of the Commission.

9. The Chairperson shall be the authority to sanction leave to the Members.

10. The Chairperson shall preside over the meetings of the National Commission.

11. All important decisions in the Commission pertaining to the subjects allotted to the Members shall be taken with the approval of the Chairperson.

12. The Chairperson may call for any records on any matter which he considers important and may take a decision on it himself or, if necessary, place it at the meeting of the National Commission.

Vice-Chairperson

13. The Vice-Chairperson shall preside over the meetings of the National Commission in the absence of the Chairperson.

14. The Vice-Chairperson shall perform such functions as are entrusted to him by the Chairperson.

Members

15. The Members of the National Commission shall have collective responsibility and shall function by participating in the meetings and sittings of the National Commission and looking after the subjects allocated to them. Important actions and decisions of a Member may be brought up at a meeting of the National Commission which may review the same.

16. Any Member may suggest items for inclusion in the agenda of a meeting of the National Commission and the same shall be so included after obtaining the consent of the Chairperson.

17. Each Member shall have overall responsibility of subjects and/or regions or State(s) as may be allocated under Rule 8.

18. Members shall play the role of advising the State Governments under their jurisdiction on matters of planning and development relating to the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Secretariat of the National Commission shall assist the Members in keeping them fully informed of the problems and activities of the States and subjects under their respective charge.

19. One or more Members may, in accordance with the procedure specified in the rules elsewhere, hold sittings of the National Commission to give hearing to the cases or to collect evidence or information on any matter, issue or case under investigation or inquiry by the National Commission.

20. Each Member shall be responsible for preparation of that part of the Annual Report which pertains to the subjects allotted to him/her.

Secretary

21. The Secretary shall be the administrative head of the National Commission and shall assist the

National Commission in the discharge of its functions with the assistance of the officers of the National Commission.

22. All important administrative matters shall be placed before the Secretary who may pass general or specific orders on such matters.

23. The Secretary shall be responsible for having the agenda prepared for the meetings of the National Commission and for circulating the minutes.

24. The Secretary shall assist the National Commission in finalising the Reports.

25. The Secretary may, in his discretion, delegate any of his functions or authority to a subordinate officer of the Secretariat.

CHAPTER III

INVESTIGATION AND INQUIRY BY THE NATIONAL COMMISSION

Methods of investigation and inquiry

26. The National Commission may adopt any one or more of the following methods for investigating or inquiring into the matters falling within its authority :

(a) by the National Commission directly;

(b) by an Investigating Team constituted at the Headquarters of the National Commission; and

(c) through its field offices.

Investigation and inquiry by the National Commission directly

27. The Commission may hold sittings for investigating into matters relating to safeguards, protection, welfare and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or for inquiring into specific complaints for which the National Commission decides to take up investigation or inquiry directly. Such sittings may be held either at the Headquarters of the National Commission or at any other place within the country.

28. The decision that a matter shall be investigated or inquired into directly by the National Commission shall be taken at a meeting of the National Commission, provided that in urgent cases the decision to hold a direct investigation or inquiry may be taken by obtaining the approval of the Chairperson. The decision may include entrustment of this investigation or inquiry to one or more Members of the National Commission.

29. The sitting of the National Commission would be held after giving due notice to the parties intended to be heard and also due publicity|notice to the general public. Care will be taken to see that the members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes who are affected in the matter under investigation or inquiry are given due information through notice or publicity.

30. After a decision for direct investigation by the National Commission has been taken under Rule 28 of this Chapter, an officer not below the rank of Assistant Director alongwith necessary staff may be attached to the Member(s) entrusted with such investigation or inquiry and they shall take all steps to arrange such a sitting.

31. During the course of the investigation or inquiry the National Commission, acting through such a sitting, may take evidence on oath or receive affidavits. When considered necessary, the National Commission, for the purpose of taking evidence in the investigation or inquiry, require the presence of any person and issue summons to him. The summons shall provide at least fifteen days' notice to the person directed to be present before the National Commission from the date of receipt of the summons.

32. The National Commission may issue commission to take evidence in any matter under investigation or inquiry and for this purpose appoint any person by an order in writing. The National Commission may make further rules for payment of fees and travelling and other allowances to persons appointed to take evidence on commission.

33. After holding the required sittings the Member| Members who have held the investigation shall make a report which shall be sent to the Secretary or to any other officer authorised to receive the report. The report shall be placed at the meeting of the National Commission which will consider the action to be taken in the matter, provided that in case of urgency, to be determined by the Member making the report, action may be initiated on the report with the approval of the Chairperson.

Investigation or inquiry by an Investigating Team constituted at the Headquarters of the National Commission

34. The National Commission may at its meeting decide about a matter that is to be investigated or inquired into by an Investigating Team of officials of the National Commission, provided that in case the matter is urgent the decision for such investigation or inquiry may be taken by the Chairperson.

35. The Investigating Team shall hold the investigation or inquiry, as the case may be, promptly and for this purpose may initiate necessary correspondence including issuance of notices for production of documents in Form I.

36. The Investigating Team may visit the area concerned after observing due formalities for obtaining approval of tours and other administrative requirements and after giving information to the concerned local authorities regarding the matter, purpose, scope and procedure of the investigation or inquiry. The Investigating Team may enlist the help of the officers and staff of the concerned field office but the responsibility of preparing and presenting the report shall rest with the head of the Investigating Team.

37. The Investigating Team shall submit the report of the investigation or inquiry, as the case may be, to the Secretary or a subordinate officer of the National Commission as may be directed by general or specific orders within the stipulated time, if any. If the

time limit stipulated is likely to exceed the head of the Investigating Team shall obtain the orders of the officer in-charge of the matter who may seek the approval of the Secretary or of the National Commission, if necessary. When the report is received from the Investigating Team it shall be examined and processed in the Secretariat and shall be put up to the competent authority for a decision regarding the action to be taken on the report. For this purpose the competent authority shall be the Secretary or a subordinate officer as may by general or specific orders be directed.

38. A gist of the report shall be placed at the meeting of the National Commission and if decided by the competent authority the entire report may be so placed.

Investigation and inquiry through the field offices

39. The Chairperson, the Vice-Chairperson, the Member having jurisdiction over the subject or the Secretary of the National Commission may decide about an investigation or inquiry that may be carried out through the field offices of the National Commission. This decision will be conveyed to the officer in-charge of the concerned field office who will be asked to get the matter investigated or inquired into within a stipulated time and send the report. For the purpose of such investigation the officer in-charge of the field office shall constitute an Investigation Group consisting of necessary number of officials belonging to the field office. The Investigation Group shall conduct the investigation or inquiry through interrogation, spot visit, discussions and correspondence and examination of documents as may be necessary in the case and shall follow any special or general instructions issued in the matter from the Secretariat of the National Commission from time to time. The officer in-charge of the field office may, if he thinks fit entrust the investigation to a single official who shall act in the same manner as an Investigation Group.

40. If the investigation or inquiry cannot be completed within the stipulated time the officer in-charge of the field office may send a communication to the Secretariat of the National Commission before the expiry of the stipulated time and explain the circumstances and reasons for non-completion of the investigation or inquiry, as the case may be, within the stipulated time. The Secretary to the National Commission or an officer acting under delegated functions may consider the request and communicate a revised date for the completion of the investigation or inquiry.

41. If during the course of investigation or inquiry the head of the Investigation Group feels that it is necessary to invoke the powers of the National Commission to require the production of any document or compelling the attendance of a person before the Investigation Group, the head of the Investigation Group may make a special report to the officer in-charge of the field office who may in turn forward the report with full facts to the Secretariat of the National Commission. On receipt of such special report the matter shall be placed before the Member in-charge of [illegible] who may make an order that necessary legal processes to compel attendance or to require production of any document may be issued. The summons and warrants issued for the purpose may be served on the person concerned either directly or through the officer in-charge of the field office as may be directed by the Member authorising issue of such legal process.

42. After completion of the investigation or inquiry, as the case may be, the Investigation Group shall present the report to the officer in-charge of the field office who shall in turn send it to the Secretariat of the National Commission after giving his comments and suggesting the course of action that could be followed in the matter. The report shall be processed in the Headquarters. The gist or findings of the report may be placed before the Secretary who may decide about further action in the matter.

Confidentiality of certain reports

43. The National Commission may, through a decision at a meeting or otherwise, direct that the contents of any report made on any matter shall be kept confidential and shall not be revealed to any person other than those who have been authorised access to such report.

Issue of legal processes

44. All summons and warrants that are required to be issued in pursuance of the exercise of the powers of a Civil Court by the National Commission shall be written in the prescribed form and shall bear the seal of the National Commission. The legal process shall be issued from the Legal Cell of the National Commission and shall bear its seal. The provisions of the Code of Civil Procedure applicable for the service of the legal processes shall be followed by the National Commission.

Issue of letters and notices

45. Letters and notices requiring production of documents which are issued without exercising the powers of the Civil Court by the National Commission may be signed by an officer not below the rank of Assistant Director.

Form of summons and warrants

46. The summons and warrants shall be as provided in Form II and III respectively, appended to these rules.

CHAPTER IV

MEETINGS OF THE NATIONAL COMMISSION

Frequency of meetings

47. The National Commission shall meet at least once in two months. The notice for a meeting shall normally be issued two weeks in advance. Emergent meetings may also be called by the Chairperson either on his own or on the request of a Member or the Secretary for disposing of important matters requiring urgent consideration by the National Commission.

Quorum

48. The Chairperson or the Vice-Chairperson and two other Members shall form the quorum for holding a meeting of the National Commission.

Matters requiring decisions by the National Commission at its meetings

49. The following matters shall be brought up before the National Commission at a meeting for consideration and decision :

(i) any amendment to these Rules of Procedure ;

(ii) matters to be investigated by the Commission directly ;

(iii) all the reports that are required to be considered by the National Commission as provided in these rules ;

(iv) matters relating to planning and development for the welfare and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(v) any other matters that a Member may like to bring to the meeting, with the approval of the Chairperson ; and

(vi) any other matter that the Chairperson may direct to be placed at a meeting of the National Commission.

Agenda for the meeting

50. The agenda shall be circulated to all the Members at least seven days before the date of the meeting, provided that for an Emergent Meeting this time limit may not apply.

51. The minutes of a meeting shall be circulated as soon as possible after the meeting to all the Members.

Place of meeting of the National Commission

52. Normally the place of meeting of the National Commission shall be the Headquarters of the National Commission at New Delhi. The National Commission may, however, decide to hold a meeting at any other place in India.

Fees

53. The Chairperson, the Vice-Chairperson or the Members shall not be entitled to any fees for sitting in the meeting of the National Commission. However, the entitlement of Part-time Members, if any, may be determined by the terms of appointment of such Members.

CHAPTER V

SITTINGS OF THE NATIONAL COMMISSION

Need for sittings

54. Whenever a matter is to be investigated into directly by the National Commission it may do so by holding sittings of the National Commission. In the case of such sitting the presence of all the Members may not be necessary.

Officers to be present

55. Whenever the National Commission is holding a sitting it shall be necessary that an officer of the National Commission, not below the rank of Assistant Director, duly deputed for the purpose is present to assist the Member|Members holding the sitting to discharge the functions properly. It shall be the duty of the officer to assist the Member|Members in preparing the report if called upon to do so by the Member|Members. The officer shall also be responsible for assisting the Member|Members in following the prescribed procedure.

Frequency of sittings

56. Sittings of the National Commission may be held as and when necessary. The National Commission may hold more than one sitting simultaneously in different parts of the country with different Members functioning separately.

Programme of the sittings

57. The programme of the sittings, both at the Headquarters and at other places, would normally be worked out for each month in advance and duly circulated.

Defraying expenses to witnesses

58. The National Commission may defray travelling expenses to persons who have been called through summons to appear before the National Commission in a sitting, provided that the place of residence of the person is more than 8 Kms. from the place of the sitting of the National Commission. The amount so defrayed shall be limited to the actual travelling expenses plus Daily Allowance for the number of days that the person has appeared before the National Commission in its sitting, provided that the person is not entitled to travelling and daily allowances from any other source. Persons who are employees of the Government or of a State Undertaking shall be deemed to be on duty if they are summoned to depose before the National Commission or produce documents. The limit of travelling expenses shall be determined on the basis of the rail fare and road mileage calculated on the basis of the rates that may be prescribed by the Commission. In the case of any doubt regarding the entitlement of the person the decision of the Secretary shall be final.

59. The officer attached to the Member for the purposes of the sitting shall take steps to ensure that sufficient cash amount is carried if the sitting is held at a place other than the Headquarters of the National Commission. The Secretariat of the National Commission may devise proper procedure to ensure that such claims as above are paid on the spot and in cash to the person so appearing.

60. The claim for travelling expenses as above shall not be admissible in the case of a person who appears before the National Commission during any investigation or inquiry on his own accord or in response to a communication or notice which is [illegible] a summons issued by the N[illegible]

CHAPTER VI

ADVISORY ROLE OF THE NATIONAL COMMISSION

Interaction of the National Commission with the State Governments

61. The National Commission shall interact with the State Governments through its Members, Secretariat and the field offices.

The Member in charge of a State|UT would interact with the State Government through meetings, personal contacts, visits and correspondence. For this purpose detailed guidelines may be formulated by the National Commission. The Secretariat of the National Commission through its concerned Wings would provide necessary assistance and information to the Member for enabling him to discharge his functions.

Interaction with the Planning Commission

62. The National Commission shall interact with the Planning Commission at appropriate levels through representation in the various Committees, Working Groups or other such bodies set up by the Planning Commission. The National Commission shall indicate this requirement through general or specific communications to the Planning Commission.

63. The National Commission may request the Planning Commission to forward copies of all the documents concerning the process of planning and development and evaluation of all programmes and schemes touching upon the welfare and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

64. The National Commission may decide about the manner of interaction between the Chairperson|Members of the National Commission and the Deputy Chairman|Members of the Planning Commission.

Interaction of the field offices with the State Governments

65. The field offices of the National Commission shall work in a manner so as to provide a regular and effective link between the State Governments concerned and the National Commission. For this purpose the National Commission may send communications to the State Governments suggesting that the officers in-charge of the field offices of the National Commission may be taken on important planning, evaluation and advisory bodies including Corporations concerned with the welfare, protection and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

66. The officers in-charge of the field offices may be directed or authorised by the National Commission to convey to any State authority the formal views, opinion or approach of the National Commission on any specific or general matter or issue arising at any meeting or deliberation.

Evaluation

67. The National Commission may undertake studies to evaluate the impact of the development schemes on the socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes taken up by the Union or State Governments. For this purpose the National Commission may constitute Study Teams either at the Headquarters or in the field offices. The Study Teams may undertake investigations, surveys or studies either in collaboration with the Central or State Government authorities, Universities or research bodies, as the case may be, or may do so independently.

68. The National Commission may entrust any survey or evaluation studies to any professional body or person considered suitable and competent to undertake such work and for this purpose may make any reasonable payment to such body or person towards the cost of the study by way of fees or grant.

69. The studies so undertaken or their gists may form part of the Annual or Special Report of the National Commission to be presented to the President or may be published separately by the National Commission.

70. The National Commission may forward a copy of such a study report to the Union or the State Government concerned, as the case may be, asking for their comments, if any. The comments or action taken reports by the Union|State Government may also form part of the Annual Report of the National Commission.

CHAPTER VII

MONITORING FUNCTIONS OF THE NATIONAL COMMISSION

National Commission to determine subjects for monitoring

71. The National Commission may determine from time to time the subjects or matters that it would monitor relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government.

Prescribing returns and reports

72. The National Commission may prescribe periodical returns or reports to be furnished by any authority responsible for or having control of the subject matter of which monitoring is being done by the National Commission.

73. The National Commission may from time to time issue instructions to its field offices to collect information and data on any particular subject or matter from the State Governments, local bodies, corporate bodies or any other authority which is charged with the implementation of the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

74. The National Commission may direct its field offices to process the information or data in the field offices with a view to arriving at conclusions with regard to the deficiencies or shortcomings discovered through such processing or analysis of the data and to bring these to the notice of the concerned authority for comments and rectification, where necessary.

75. The National Commission may have data, relating to the subjects monitored, collected at the Headquarters and may prescribe returns and reports for the purpose to be sent directly to its Headquarters by the Ministries|Departments of the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or any other body or authority which is charged with the responsibility of implementing safeguards relating to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Follow-up action

76. In order to ensure that monitoring is done effectively the National Commission, after getting the information as prescribed in the above rules and after reaching conclusions, may as early as possible send out communications to the concerned authority describing the shortcomings that have been noticed in the implementation of the safeguards and suggesting corrective steps. Decision on sending out such a communication may be taken at a level not lower than that of a Deputy Director.

77. The National Commission may ask for the comments of the concerned authority on the action taken in pursuance of the communication sent under the provision of Rule 76.

78. The National Commission may include in its Annual Report or any Special Report findings and conclusions arrived at through the process of monitoring of the subjects relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government.

CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS

Non-formal actions by the National Commission

79. The National Commission may initiate correspondence in special cases in matters or cases which are not strictly covered under the law if the matter is such that the welfare of an individual person belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or that of a group of such persons is involved and it is necessary for the National Commission, in its inherent capacity as the protector of the interests of these classes of persons, to take action. The decision that such correspondence may be undertaken shall be taken at the level of a Director or above.

80. All formal communications from the National Commission shall be issued under the signatures of an officer not below the rank of Assistant Director.

81. The National Commission can sue or be sued through its Secretary.

82. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes in these rules will have the same connotation as is given in clause 10 of Article 338 of the Constitution.

Applicability of rules, etc., of the Central Government

83. All rules, regulations and orders applying to various categories of Central Government employees including the rules for discipline and conduct shall be applicable to the officers and staff of all categories in the National Commission.

84. The provisions relating to the delegation of financial powers in the Government of India shall apply to the corresponding officers in the National Commission.

Use of staff cars

85. The Staff Car Rules of the Government of India shall apply for the purposes of utilisation of staff cars in the National Commission.

Decision on matters not specified in these rules

86. If a question arises regarding any such matter for which no provision exists in these rules, the decision of the Chairperson shall be sought. The Chairperson may, if he deems fit, direct that the matter may be considered at a meeting of the National Commission.

S. K. BASU
Secretary,
National Commission for
Scheduled Castes and Scheduled Tribes

FORM I

(Notice for collecting basic facts)

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional body under Article 338 of the Constitution of India)

Loknavak Bhawan (Floor V)
New Delhi-110003

To

.....
.....
.....

Whereas a petition|complaint|information has been received by the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from .....| press news under caption..... .appearing in.....dated..... as enclosed and the National Commission has decided to investigate| inquire into the matter in pursuance of the powers conferred upon it under Article 338 of the Constitution of India, you are hereby requested to submit the facts and information on the action taken on the allegations| matters to the undersigned within 30 days of receipt of this notice either by post or in person or by any other means of communication.

Please take notice that in case the National Commission does not receive a reply from you within the stipulated time, this National Commission may exercise the powers of Civil Courts conferred on it under Article 338 of the Constitution of India and issue a summons for your appearance in person or by a representative or through a pleader before the National Commission.

Signature

Deputy Director|Director

National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Dated.....

FORM II

(Summons)

BEFORE THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 of the Constitution of India)

Loknayak Bhavan (Floor V)

New Delhi-110003

To

.....

.....

.....

Whereas a petition|complaint|information has been received by the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from..... .....|press news under caption..... .....appearing in .....dated.....as enclosed and whereas the National Commission has decided to investigate|inquire into the matter in pursuance of powers conferred upon it under Article 338 of the Constitution of India, your attendance is hereby required in person to appear as a witness before the National Commission on the.....of..... .....19 ..... at ..... hours at .....You are required to bring with you the following documents for examination by the National Commission or depute a person duly authorised by you to produce the documents mentioned below :

.....

.....

Travelling expenses shall be paid to you according to the scale prescribed, based on your monthly income. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you shall be subjected to the consequences of non-attendance laid down in Rule 12 of Order XVI of Code of Civil Procedure, 1908.

Given under my hand and the seal of the National Commission exercising powers of Civil Court, this ..... of..... 19 .

Signature

SEAL. Signature

FORM III

(Warrant of arrest of witness)

BEFORE THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 of the Constitution of India)

Loknayak Bhawan (Floor V)

New Delhi-110003

To

.....

.....

.....

Whereas .... r|o ..... has been duly served with a summons but has failed to attend (absconds and keeps out of the way for the purpose of avoiding service of a summons), the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes exercising powers of a Civil Court under Article 338(8) of the Constitution of India hereby order you to arrest and bring the said..... before the National Commission at New Delhi.

You are further ordered to return this warrant on or before the.....day of..... 19 ..... with an endorsement certifying the day and the manner in which it has been executed, or the reason why it has not been executed.

Given under my hand and the seal of the National Commission exercising powers of Civil Court, this ..... of..... 19 .

SEAL Signature

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994